KANPUR DEHAT POLICE

प्रेस नोट

सराहनीय कार्य **दिनांक- 19.07.2026**

"धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों के खिलाफ कानपुर देहात पुलिस का बड़ा एक्शन।"

पुलिस अधीक्षक महोदया के कुशल निर्देशन में थाना भोगनीपुर पुलिस, एसओजी व सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में अमेजन पार्सल धोखाधड़ी गिरोह का सफल पर्दाफाश, 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

मु0अ0सं0 240/2026, धारा 318(4)/317(2) बीएनएस के सफल अनावरण के क्रम में अभियुक्तों के कब्जे से ₹8 लाख नकद, घटना में प्रयुक्त कार, मोटरसाइकिल, 03 मोबाइल फोन एवं 06 सिम कार्ड बरामद।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ व पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री यमुना प्रसाद के कुशल मार्गदर्शन में एवं पुलिस अधीक्षक महोदया, जनपद कानपुर देहात श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय के कुशल निर्देशन में जनपद में धोखाधड़ी एवं संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना भोगनीपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अमेजन पार्सल धोखाधड़ी गिरोह का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

वादी महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री देवीदीन निवासी शिवाजीनगर, कस्बा व थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात की लिखित तहरीर के आधार पर थाना भोगनीपुर पर मु0अ0सं0 240/2026, धारा 318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। वादी द्वारा अवगत कराया गया कि अभियुक्त रोहित ठाकुर उर्फ डिफाल्टर उर्फ कुणाल शर्मा द्वारा एप्पल एवं टाइटन कंपनी के हाई-वैल्यू प्रोडक्ट (जैसे एप्पल वॉच, एप्पल एयरपॉड्स आदि) फर्जी नाम-पते से कैश ऑन डिलीवरी व प्रिपेड के माध्यम से ऑर्डर किए जाते थे। डिलीवरी प्राप्त करने के उपरांत पार्सलों को सावधानीपूर्वक खोलकर उनमें से मूल उत्पाद निकाल लिए जाते थे तथा उनके स्थान पर डमी उत्पाद रखकर पार्सलों को पुनः पैक कर अमेजन को वापस कर दिया जाता था, जिससे कंपनी के साथ धोखाधड़ी की जाती थी।

प्रकरण के सफल अनावरण के क्रम में थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा दिनांक 18.07.2026 को समय 23:45 बजे चौरा से बिल्हापुर जाने वाले मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग से लगभग 100 मीटर आगे से अभियुक्तगण 1. रोहित ठाकुर उर्फ डिफाल्टर उर्फ कुणाल शर्मा पुत्र नरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ अजय शर्मा, निवासी गणेशगंज स्टेशन रोड, कस्बा व थाना कोतवाली कालपी, जनपद जालौन, 2. मंजीत गुप्ता उर्फ जीनियस पुत्र श्यामकृष्ण गुप्ता, निवासी 154 गणेशगंज, कस्बा व थाना कालपी, जनपद जालौन को पुलिस हिरासत में लिया गया।

पूछताछ एवं साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त मंजीत गुप्ता उर्फ जीनियस की संलिप्तता भी प्रकाश में आई। अभियुक्तगण के कब्जे से ₹8,00,000 (आठ लाख रुपये) नकद, घटना में प्रयुक्त 03 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 06 सिम कार्ड, 01 KIA कार संख्या UP77AU2265 तथा 01 बजाज पल्सर मोटरसाइकिल संख्या UP78FY4829 बरामद की गई, जिन्हें नियमानुसार कब्जा पुलिस में लिया गया।

बरामदगी एवं विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. रोहित ठाकुर उर्फ डिफाल्टर पुत्र नरेन्द्र प्रताप सिंह निवासी गनेशगंज स्टेशन रोड कालपी कोतवाली कालपी जिला जालौन उम्र 29 वर्ष ।
2. मंजीत गुप्ता उर्फ जीनियस पुत्र श्यामकृष्ण गुप्ता निवासी 154 गनेशगंज कस्बा व थाना कालपी जिला जालौन उम्र 35 वर्ष।

अभियुक्तगण पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण, **रोहित ठाकुर उर्फ डिफाल्टर** एवं **मंजीत गुप्ता उर्फ जीनियस** ने बताया कि लगभग डेढ़ माह पूर्व दोनों ने मिलकर योजना बनाई थी कि पुखरायां स्थित अमेजन डिलीवरी ऑफिस का दुरुपयोग कर महंगे सामानों की धोखाधड़ी की जाएगी। योजना के अनुसार रोहित ठाकुर ने **कुणाल शर्मा** के नाम से अमेजन डिलीवरी बॉय की नौकरी ज्वाइन की। और 01-02 दिन कार्य करने के बाद जब डिलीवरी करने के लिये रोहित ठाकुर का कालपी का रूट निश्चित कर दिया गया तब मंजीत गुप्ता द्वारा अमेजन से उसी रूट के पते से एप्पल व अन्य कम्पनियों के हाईवेल्यू प्रोडक्ट (एप्पल ईयरबट्स, रिस्ट बाँच आदि) को कैश ऑन डिलेवरी व ऑनपे आर्डर बुक किये गये। और उनके स्क्रीन शॉट डिलेवरी व्यॉय रोहित को भेज दिये गये, जब वह प्रोडक्ट कम्पनी से शिपिंग आफिस पुखरायां आये तो रोहित ने वह सामान देखकर मंजीत को बता देता था जब वह सामान लेकर डिलीवरी आफिस से बाहर निकलता था उसी समय मंजीत उपरोक्त आर्डरों को निरस्त (Cancel) कर देता था आर्डर निरस्त करने पर ऑनपे किया गया रुपया वापस उन्ही के खातों में कम्पनी द्वारा रिफण्ड कर दिया जाता था और आर्डर किये गये सामान को रास्ते में हीटगन की सहायता से पार्सलों की टेप को गर्म कर बिना पैकेट को क्षतिग्रस्त किए खोल लेते थे, उनमें से मूल (Original) सामान निकालकर उसके स्थान पर डमी (कॉपी) सामान रख देते थे तथा पुनः टेप को पहले की तरह चिपका देते थे। इसके उपरांत रोहित उक्त निरस्त ऑर्डरों के पैकेटों को वापस अमेजन कार्यालय में जमा कर देता था, जिससे किसी को तत्काल संदेह न हो।

अभियुक्तगण के अनुसार उन्होंने लगभग 01 जून से 11 जून तक इसी प्रकार धोखाधड़ी कर विभिन्न फर्जी नाम-पते एवं फर्जी सिम कार्डों के माध्यम से लगभग 10 **लाख रुपये** मूल्य के ऑर्डर बुक किए। प्राप्त मूल सामान को कानपुर एवं दिल्ली के व्यापारियों को ऑनलाइन बिल दिखाकर बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेच दिया, जिससे उन्हें लगभग **10 लाख रुपये** प्राप्त हुये थे। जिनमें से 08 लाख रुपए बरामद हुए और करीब 02 लाख रुपए इनके खातों में मौजूद है जिन्हें फ्रिज कराने की कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त रोहित ठाकुर उर्फ डिफाल्टर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1.	मु0अ0सं0 257/2019 धारा 406/420 भादवि0 थाना हजरतगंज कमिश्नरेट लखनऊ।
2.	मु0अ0सं0 240/2026 धारा 318(4)/317(2) BNS थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त मंजीत गुप्ता उर्फ जीनियस उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1.	मु0अ0सं0 46/2021 धारा 420/411/120बी IPC थाना गोविन्दनगर कमिश्नरेट कानपुर नगर।
2.	मु0अ0सं0 240/2026 धारा 318(4)/317(2) BNS थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी-

1.	08 लाख रूपये नगद।
2.	03 एण्ड्रायड मोबाइल (घटना में प्रयुक्त)
3.	06 सिमकार्ड।
4.	01 KIA कार संख्या UP77AU2265
5.	01 पल्सर मोटर साइकिल संख्या UP78FY4829

गिरफ्तार करने वाली थाना भोगनीपुर पुलिस टीम-

1. उ0नि0 मोहित मिश्रा थाना
2. उ0नि0 अमरेन्द्र प्रताप सिंह
3. हे0कां0 365 पुष्पेन्द्र सिंह
4. कां0 125 कुलदीप समाधिया
5. रि0कां0 520 अमित कुमार
6. रि0म0कां0 1360 प्रिया यादव